**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 950**

**(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)**

**सीएसआर निधियों का संग्रह और उपयोग**

**950. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः**
**डॉ. नामदेव किरसानः**
**डॉ. निशिकान्त दुबेः**
**श्री धर्मबीर सिंहः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों के संग्रह, आबंटन और उपयोग का और इसके आरंभ से लेकर अब तक सीएसआर के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों/परियोजनाओं तथा विशेषरूप से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और झारखंड के गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के सभी जिलों सहित क्षेत्रवार, वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) सीएसआर के अंतर्गत पूर्ण नहीं की गई परियोजनाओं के झारखंड सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कंपनियों द्वारा लाभार्थियों का चयन करने और सीएसआर निधियों के वितरण के तरीके के लिए कोई विशेष दिशानिर्देश हैं तथा सीएसआर के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;
(घ) देश में खेल विकास के लिए निधियों में योगदान करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने पीएसयू/कंपनियों द्वारा व्यय की गई सीएसआर निधि की लेखा-परीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।**

**(श्री हर्ष मल्होत्रा)**

(क) और (ख): सीएसआर कानूनी ढांचे के अंतर्गत सीएसआर निधियों के संग्रह और आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल सीएसआर से संबंधित सभी डाटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे www.csr.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। मंत्रालय संसदीय क्षेत्रवार डेटा नहीं रखता है। तथापि, सीएसआर अधिदेशित कंपनियों द्वारा वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान व्यय किए गए सीएसआर का राज्यवार और क्षेत्रवार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा सीएसआर परियोजनाओं या कार्यकलापों के पूरे होने की स्थिति का रखरखाव नहीं किया जाता है।

जारी.....2/-

(ग): कानूनी ढांचे के तहत, सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है। अधिनियम की धारा 135(9) के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को छोड़कर, प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी एक सीएसआर समिति का गठन करेगी। समिति सीएसआर नीति तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्र या विषय में कंपनी द्वारा किए जाने वाली कार्यकलापों में लाभार्थी शामिल होंगे। कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता है, उन पर निर्णय लेता है, उन्हें क्रियान्वित करता है और उनकी निगरानी करता है। सरकार कंपनियों को उनकी सीएसआर नीति या लाभार्थी तय करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करती है।

(घ): मंत्रालय निर्वाचन क्षेत्र-वार डाटा नहीं रखता है। तथापि, वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए खेलों पर राज्यवार सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक III में संलग्न है।

(ड): कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(5) के तहत, कंपनी के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और उन्हीं तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय का प्रमाणन करेगा। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय का कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसके तहत लेखापरीक्षकों को किसी भी अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण देना आवश्यक है।

इस प्रकार, अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के खातों के वैधानिक ऑडिट के प्रावधान आदि जैसे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा कंपनियों द्वारा सीएसआर पर व्यय के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करता है।

*****

अनुलगनक- I

**दिनांक 10.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

| वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक राज्यवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य | वित्त वर्ष 2020-21 | वित्त वर्ष 2021-22 | वित्त वर्ष 2022-23 |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 2.86 | 9.71 | 2.53 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 719.81 | 656.79 | 954.63 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 10.58 | 119.42 | 13.35 |
| 4 | असम | 180.23 | 406.17 | 470.24 |
| 5 | बिहार | 89.89 | 165.97 | 235.36 |
| 6 | चंडीगढ़ | 13.40 | 50.88 | 18.06 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 325.63 | 305.29 | 596.11 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 21.98 | 14.11 | 13.71 |
| 9 | दमन और दीव | 5.25 | 4.13 | 9.40 |
| 10 | दिल्ली | 724.59 | 1193.93 | 1462.66 |
| 11 | गोवा | 41.92 | 45.43 | 58.11 |
| 12 | गुजरात | 1461.60 | 1603.93 | 1982.26 |
| 13 | हरियाणा | 550.86 | 683.95 | 700.16 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 106.31 | 140.22 | 138.52 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 35.56 | 50.68 | 71.22 |
| 16 | झारखंड | 226.54 | 193.33 | 388.13 |
| 17 | कर्नाटक | 1277.81 | 1839.73 | 1985.23 |
| 18 | केरल | 290.67 | 239.73 | 351.60 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.01 | 0.45 | 0.02 |
| 20 | लेह और लद्दाख | -- | 14.84 | 11.72 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 375.51 | 427.10 | 655.86 |
| 22 | महाराष्ट्र | 3464.81 | 5380.07 | 5494.77 |
| 23 | मणिपुर | 10.39 | 15.62 | 53.45 |
| 24 | मेघालय | 17.63 | 19.63 | 21.73 |
| 25 | मिजोरम | 0.97 | 6.94 | 10.99 |
| 26 | नागालैंड | 3.57 | 12.46 | 13.57 |
| 27 | ओडिशा | 578.16 | 670.32 | 987.70 |
| 28 | पुडुचेरी | 12.43 | 9.31 | 12.55 |
| 29 | पंजाब | 158.46 | 184.89 | 247.47 |
| 30 | राजस्थान | 670.00 | 711.82 | 1102.16 |
| 31 | सिक्किम | 17.28 | 28.24 | 36.18 |
| 32 | तमिलनाडु | 1174.07 | 1432.06 | 1558.66 |
| 33 | तेलंगाना | 627.71 | 685.87 | 1006.63 |
| 34 | त्रिपुरा | 9.29 | 15.91 | 19.26 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 907.32 | 1339.18 | 1152.43 |
| 36 | उत्तराखंड | 160.58 | 228.08 | 301.11 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 471.48 | 567.21 | 759.51 |
| 38 | पैन इंडिया (अन्य केंद्रीकृत निधि) | 3491.30 | 1620.09 | 1091.86 |
| 39 | पैन इंडिया* | 7805.03 | 5522.74 | 5988.91 |
| 40 | एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया* | 169.47 | 0.09 | 10.12 |
| | कुल | 26210.95 | 26616.30 | 29987.92 |

**(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)**

*** कंपनियों ने या तो राज्यों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्यों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

******

अनुलग्नक- II

दिनांक 10.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

| वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | विकास क्षेत्र | वित्त वर्ष 2020-21 | वित्त वर्ष 2021-22 | वित्त वर्ष 2022-23 |
| 1 | कृषि वानिकी | 20.90 | 34.27 | 65.07 |
| 2 | पशु कल्याण | 193.55 | 168.79 | 315.98 |
| 3 | सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, वीरांगनाएं /आश्रित | 84.05 | 47.22 | 62.27 |
| 4 | कला और संस्कृति | 493.13 | 248.34 | 441.02 |
| 5 | प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 92.00 | 273.82 | 580.37 |
| 6 | शिक्षा | 6693.25 | 6569.82 | 10085.78 |
| 7 | पर्यावरणीय स्थिरता | 1030.16 | 2433.24 | 1960.13 |
| 8 | लैंगिक समानता | 43.83 | 104.67 | 119.83 |
| 9 | स्वास्थ्य देखभाल | 7325.83 | 7816.29 | 6830.60 |
| 10 | आजीविका संवर्धन परियोजनाएं | 938.91 | 854.78 | 1654.39 |
| 11 | गरीबी, भूख उन्मूलन, कुपोषण | 1407.58 | 1896.95 | 1232.62 |
| 12 | ग्रामीण विकास परियोजनाएं | 1850.71 | 1833.76 | 2005.37 |
| 13 | सुरक्षित पेयजल | 203.13 | 182.68 | 246.36 |
| 14 | स्वच्छता | 338.97 | 313.26 | 429.91 |
| 15 | वरिष्ठ नागरिक कल्याण | 56.47 | 79.58 | 132.87 |
| 16 | महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना | 44.52 | 100.92 | 48.53 |
| 17 | अनाथालय की स्थापना | 21.88 | 27.52 | 41.24 |
| 18 | स्लम क्षेत्र विकास | 88.95 | 58.38 | 93.84 |
| 19 | सामाजिक-आर्थिक समानता | 149.81 | 164.90 | 154.01 |
| 20 | विशेष शिक्षा | 209.24 | 190.52 | 305.67 |
| 21 | प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर | 62.62 | 8.57 | 1.38 |
| 22 | खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण | 243.39 | 291.85 | 526.14 |
| 23 | व्यावसायिक कौशल | 717.65 | 1034.18 | 1164.19 |
| 24 | महिला सशक्तिकरण | 206.00 | 261.34 | 396.99 |
| 25 | केंद्र सरकार की अन्य निधियां | 3491.30 | 1620.09 | 1091.86 |
| 26 | एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया* | 203.14 | 0.59 | 1.50 |
| | कुल | 26210.95 | 26616.30 | 29987.92 |

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

******

**अनुलग्नक- III**

**दिनांक 10.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

| वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक भारत में खेलों पर राज्यवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्त वर्ष 2020-21 | वित्त वर्ष 2021-22 | वित्त वर्ष 2022-23 |
| 1 | अंडमान और निकोबार | -- | 1.50 | -- |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1.64 | 3.09 | 4.75 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | -- | 0.06 | 0.14 |
| 4 | असम | 2.53 | 4.02 | 11.31 |
| 5 | बिहार | 0.10 | 0.96 | 3.52 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.04 | 0.33 | 0.34 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 6.82 | 1.78 | 5.72 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | - | 0.06 | 0.02 |
| 9 | दमन और दीव | -- | -- | 0.05 |
| 10 | दिल्ली | 5.39 | 22.99 | 41.57 |
| 11 | गोवा | 0.38 | 2.82 | 4.62 |
| 12 | गुजरात | 3.41 | 8.12 | 7.41 |
| 13 | हरियाणा | 1.25 | 6.73 | 6.00 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 1.66 | 2.57 | 10.77 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 0.04 | 0.35 | 0.30 |
| 16 | झारखंड | 1.91 | 4.31 | 10.20 |
| 17 | कर्नाटक | 26.87 | 27.38 | 44.27 |
| 18 | केरल | 9.04 | 4.95 | 5.78 |
| 19 | लेह और लद्दाख | -- | -- | 0.09 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 0.98 | 5.52 | 7.66 |
| 21 | महाराष्ट्र | 16.51 | 55.16 | 68.29 |
| 22 | मणिपुर | -- | 0.25 | 1.62 |
| 23 | मेघालय | -- | -- | 1.05 |
| 24 | मिजोरम | -- | 0.36 | 5.57 |
| 25 | नागालैंड | -- | -- | 0.12 |
| 26 | ओडिशा | 15.33 | 11.87 | 51.28 |
| 27 | पुडुचेरी | 0.04 | 0.01 | 0.28 |
| 28 | पंजाब | 1.98 | 4.13 | 3.85 |
| 29 | राजस्थान | 8.76 | 15.53 | 21.97 |
| 30 | सिक्किम | 0.01 | 0.08 | 2.67 |
| 31 | तमिलनाडु | 11.23 | 16.38 | 28.45 |
| 32 | तेलंगाना | 3.76 | 6.70 | 12.42 |
| 33 | त्रिपुरा | 0.01 | 0.10 | 0.31 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 2.37 | 4.23 | 14.72 |
| 35 | उत्तराखंड | 0.09 | 0.39 | 0.71 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 4.93 | 4.04 | 11.54 |
| 37 | पैन इंडिया* | 116.32 | 75.09 | 136.78 |
| | कुल | 243.39 | 291.85 | 526.14 |

**(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)**

*** कंपनियों ने या तो राज्यों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्यों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

******